



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स व दूरभाष -0761-2643182
Fax & Telephone - 0761-2643182

ई-मेल / e-mail: zone.central.soi@gov.in



अपर महासर्वेक्षक कार्यालय
OFFICE OF THE ADDL. S.G.
मध्य क्षेत्र Central Zone
सर्वे कॉलोनी, विजय नगर
Survey Colony, Vijay Nagar,
जबलपुर-482002 (म.प्र.)
Jabalpur - 482002 (MP)

सं. 321/37-जी-9

दिनांक 22 -03-2023

मध्य क्षेत्र नेमी आदेश सं.02/37-जी-9 दिनांक 22.03.2023

(1) अस्थाई ग्रुप 'सी' लिपिकीय वर्ग एवं ग्रुप 'सी' एम.टी.एस. वर्ग के कर्मचारियों की सेवा को जारी रखना:-

मध्य क्षेत्र, जबलपुर के निम्न ग्रुप 'सी' स्थापना कर्मचारियों को उनके अस्थाई ग्रुप सी स्थापना में दिनांक 01.03.2023 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऐसे अन्य आदेश जारी किए जाने तक जो भी पहले हो, निरंतर सेवा में बने रहने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	नियुक्ति की तिथि	अभियुक्तियों
01	श्री कनिष्क कश्यप, प्रवर श्रेणी लिपिक	मध्य क्षेत्र, जबलपुर	09.09.2021	अस्थाई
02	कु. सोनम शर्मा, आशुलिपिक, ग्रेड- II	मध्य क्षेत्र, जबलपुर	22.08.2022	अस्थाई
03	श्री पवन वर्मा, प्रवर श्रेणी लिपिक	मध्य क्षेत्र, जबलपुर	02.01.2023	अस्थाई
04	श्री विवेक मिश्रा, एम.टी.एस.	मध्य क्षेत्र, जबलपुर	06.09.2021	अस्थाई
05	श्री कुमार राज, एम.टी.एस.	मध्य क्षेत्र, जबलपुर	25.10.2021	अस्थाई
06	श्रीमती अदिति अनीश कुटप्पन, एम.टी.एस.	मध्य क्षेत्र, जबलपुर	20.05.2022	अस्थाई

इस मद में होने वाले व्यय को म.प्र. भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र, जबलपुर के स्वीकृत बजट अनुदान वर्ष 2023-24 में पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

(आर.के.निगम)

अपर महासर्वेक्षक
मध्य क्षेत्र (अति. प्रभार)

वितरण:-

- 01 भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
- 02 अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिलांग/उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ/दक्षिण-मध्य क्षेत्र, हैदराबाद/दक्षिणी क्षेत्र, बंगलौर/विशिष्ट सेवायें क्षेत्र, देहरादून/ भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद।
- 03 निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी., पुणे/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी., रायपुर/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन निदेशालय, हैदराबाद/राष्ट्रीय जी.डी.सी., देहरादून/व्यवसाय एवं प्रचार निदेशालय, देहरादून/डी.एस.एस.डी.आई., दिल्ली/राजस्थान जी.डी.सी., जयपुर/पंजाब एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी., चंडीगढ़/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चंडीगढ़/हरियाणा जी.डी.सी., चंडीगढ़/जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी., जम्मू/ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता/झारखण्ड जी.डी.सी., राची/उड़ीसा जी.डी.सी., भुवनेश्वर/उत्तराखण्ड जी.डी.सी., देहरादून/मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी., शिलांग/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी/ त्रिपुरा व मणिपुर जी.डी.सी., सिलचर/गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी./ उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., लखनऊ/बिहार जी.डी.सी., पटना/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी., हैदराबाद/कर्नाटक जी.डी.सी., बंगलौर/तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी. चैन्नई/केरल व लक्षद्वीप जी.डी.सी., तिरुअनंतपुरम/सर्वेक्षण (हवाई) व दिल्ली जी.डी.सी., नई दिल्ली/उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद/पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता/पश्चिमी मुद्रण वर्ग, दिल्ली।
- 04 निदेशक, मध्य प्रदेश जी.डी.सी. को सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, कोलकाता।
- 06 स्थापना एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ)।